PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that due to certain unavoidable circumstances, the proposed Public Auction (of pledged ornaments-NPA accounts) by our client M/s. Muthoot Finance Ltd. Scheduled for **11.11.2017** has been postponed and is now re-scheduled for **09.01.2018.** The place and time of Public Auction shall remain the same, as already notified to the concerned Borrowers. In case of any clarification, the interested persons may contact the concerned Branch office of our client.

Kohli & Sobti Advocates

A 59A, First Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi – 110024

Note: Customers can release their pledged ornaments before the scheduled auction date, against payment of dues of our client. Customer can also contact to Email ID:recoverynorth@muthootgroup.com or Call at 7834886464.

VIJAYA BANK

(A Government of India undertaking)

A friend You can bank upon

Head Office 41/2, M G Road Bangalore – 560 001,
Ph: 0129-2941235, Mail id: vb8301@vijayabank.co.in

E-AUCTION SALE NOTICE

It is notified for all concerned that the following property is secured in favour of Vijaya Bank, Faridabad Branch, and as secured creditor taken possession under SARFAESI Act 2002, will be sold by **E-Auction on 28/11/2017 "as is where is and as is what is basis"** for recovery of Bank dues. This is a notice to the borrower and to the guarantor of said loan about holding of E-Auction sale on the said date, if their outstanding dues are not repaid in full by the date of auction.

Name And Address of Borrower & Guarantor/ Mortgagor:	**Borrower** 1.M/s. Sheetasha Communications Prop. Sh. Radhey Shyam Arora S/o Shri. Bharat Lal Arora 2.Sh. Bharat Lal Arora s/o. Sh. Arjan Das **Guarantor/Mortgagor:** Smt. Sudesh Kumari w/o. Shri Bharat Lal Arora

The under mentioned property will be sold by **"Online e-Auction through website www.bankeauctionwizard.com** on 28/11/2017 for Recovery of an amount of **Rs. 39,40,914.00 (Rupees thirty nine lacs forty thousand nine hundred fourteen only) as on 31.10.2017** with future interest and cost till the date of payment.

Schedule of the Property	All that land and residential House No.2247, Second Floor, measuring 235 sqyd with roof right, Sainik Colony Sector - 49 NIT Faridabad standing in the name of Sh. Bharat Lal and Sudesh Kumari and Bounded by: **North: Road, South: House No.2045 Mr. Rana, East: House No.2248, Sh. Subhash Suman, West: Vacant plot no. 2246**
Reserve Price	**Rs. 36,00,000/-**
Earnest Money Deposit	**Rs. 3,60,000/-**
Bid increment Amount	**Rs. 10,000**
Date of Inspection of Property for Intending Purchasers	**27/11/2017 from 11.00 A.M to 1.00 P.M**
Last date for submission of tender form along with EMD and KYC documents	**By 3.00 pm P.M on 27/11/2017 at Vijaya Bank, NIT Faridabad Branch, District - Faridabad, Phone: 0129-2412935, Email:vb8301@vijayabank.co.in**
Date, Time & Place of Opening of online offers	**28/11/2017 between 11.00 A.M to 1.00 P.M** with unlimited extension of 10 minutes i.e., the end time of E-Auction will be extended by 10 minutes each time if bid is made within last 10 minutes before closure of auction. **Venue:** Vijaya Bank, NIT Faridabad Branch, District-Faridabad,pin-121001,Phone:0129-2412935, Email: vb8301@vijayabank.co.in

Note: The intending bidder/purchaser may visit to Bank's website www.vijayabank.com and click on the tab "Tender" or visit the Government website www.tenders.gov.in for detail terms and conditions regarding auction proceeding.

For details, help, procedure and online training on e-auction prospective bidders may contact the service provider viz. M/s. Antares Systems Ltd., Bangalore-contact person **1. Mr.Hemant Srivastava, Mob. No. 7709933635 and EMail - hemant.ps@antaressystems.com**
2. Mr.Vinod Singh Bohra M. No.9718227288
E Mail-vinodsingh.b@antaressystems.com and Mr. Toushik Ghosh, Mob. No. 9764758724. Bidders are advised to go through the website www.bankeauctionwizard.com for detailed terms and conditions of auction sale & auction application form before submitting their Bids for taking part in the e-auction sale proceedings

Place: Faridabad **SD/-Authorised Officer**
Date: 09/11/2017 **Vijaya Bank, NIT Faridabad**

NOTICE

The General Body Meeting of The National Society for the Prevention of Blindness will be held on Sunday, the 17th December 2017 at 12.15 P.M. at KNGD Modi Engineering College Auditorium, Hapur Road, Modinagar (UP). Members enrolled at National Headquarters and representatives of branches are requested to attend. Election for 21 members to the Governing Council will be held at the venue of the meeting from 12.45 P.M. as the term of the present Governing Council is getting over in 2017. Nomination Forms duly proposed and seconded by the valid members be sent in a sealed cover to The NSPB's office, Room No.122, Dr. R.P. Centre for Ophthalmic Sciences, AIIMS, New Delhi. Last dates for the receipt of the nomination at The NSPB's Office is Tuesday, the 5th December, 2017 by 3.00 P.M., Scrutiny of nomination and announcement of eligible candidate is Wednesday, the 6th December, 2017 at 3.00 P.M. and for withdrawal of nomination is Friday, the 8th December, 2017 by 3.00 P.M.

Sd/-
(NILESH KUMAR) ELECTION OFFICER

VIJAYA BANK

(A Government of India undertaking)

A friend You can bank upon

DIMAPUR Branch, Phone - 03862-235590,Fax-03862-235590,
Email-vb8102@vijayabank.co.in, Website- www.vijayabank.com

POSSESSION NOTICE

[Rule 8 (1)] (For Immovable property)

Whereas

The undersigned being the authorised officer of The **VIJAYA BANK, DIMAPUR BRANCH** under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of the powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated **05.07.2017** calling upon the borrower **M/s Zhimomi Automobiles and its Proprietor & Mortgagor Mr. H. Khekiho Zhimomi** to repay the amount mentioned in the notice being **Rs. 1,21,98,769.12/- (Rupees One Crore Twenty One Lakhs Ninety Eight Thousand Seven Hundred Sixty Nine and Paise Twelve only)** within sixty days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of Section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this the **6th day of November, the year 2017.**

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the **VIJAYA BANK, DIMAPUR BRANCH, NAGALAND** for an amount of **Rs.99,43,409.12** as on 06.11.2017 along with future interest and other charges thereon.

Description of the Immovable Property

All that part and parcel of the property consisting of **Flat at 1st Floor, Plot No.A-84 NDSE Part–II, South Extension, New Delhi.**

Bounded:
On the North by: Road and Plot No A-75B
On the South by: Service Lane and Plot No A-84A
On the East by: Drain
On the West by: Plot No A-83A

Place: New Delhi **SD/-Authorised Officer**
Date: 06/11/2017 **(Vijaya Bank Dimapur Branch)**

International Data Management Limited

CIN: L72300DL1977PLC008782
Regd. Off. : 806, Siddhartha, 96, Nehru Place, New Delhi -110019
Website: www.idmlimited.in

Notice

Re-Schedule of Board Meeting

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company which was scheduled to be held on November 13, 2017 has been re-scheduled to be held on Tuesday, the December12, 2017 at 806, Siddhartha, 96, Nehru Place, New Delhi-110019 inafternoon to take on record, inter alia, the Un-audited financial results of the Company for the Quarter ended September 30, 2017.

In terms of the above and Pursuant to Schedule B of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations,2015, the Board has decided to close its trading window under the "Minimum Standards for Code of Conduct to Regulate, Monitor and Report Trading" from December 4, 2017 to December 14,2017 (both days inclusive).

For International Data Management Limited
Sd/-
Date : November 10, 2017 **Jasbir Singh Marjara**
Place : New Delhi **Company Secretary& Compliance Officer**

China bars actress from stock trading for five years

REUTERS
Beijing, November 10

BILLIONAIRE CHINESE ACTRESS Zhao Wei and her husband have been barred from trading in the mainland stock market for five years and fined by the securities regulator, which cited their disclosure irregularities relating to a takeover bid of a firm.

Zhao and her husband Huang Youlong, through a company they controlled — Tibet Longwei Culture Media — made a failed attempt to buy 29.1% of Zhejiang Wanjia in late 2016. Zhejiang Wanjia was later taken over by another investor and renamed Zhejiang Sunriver Culture.

But Tibet Longwei's bid drew scrutiny of the China Securities Regulatory Commission (CSRC) regarding information disclosure and takeover-financing ability. The regulator stated that the bid made misleading statements and major omissions in disclosures, according to a filing by Zhejiang Sunriver to the Shanghai stock exchange.

The bidder's actions 'severely impacted market order, hurt medium and small investors' confidence in the market, and undermined fairness, justice and openness of the market', the regulator said, according to the filing.

Zhao, Huang and Tibet Longwei could not be contacted for comment by phone. CSRC also could not be reached immediately for comment. Zhejiang Sunriver said in an emailed statement to *Reuters* it will 'disclose information in a timely manner in accordance with law for any follow-up'.

The CSRC fined Zhao and Huang 300,000 yuan ($45,201.15) each, while Tibet Longwei Culture Media received a 600,000 yuan penalty.

Zhao, 41, came into national prominence for starring in the costume TV drama *My Fair Princess*, produced jointly between Taiwan and mainland China in 1998. She was also part of the popular and *Red Cliff* movies.

यूको बैंक UCO BANK

(A Govt.Of India Undertaking)
Honours Your Trust

ZONAL OFFICE- 5, PARLIAMENT STREET, NEW DELHI-110001
BRANCH OFFICE: H-2/III, RAKESH MARG, NEHRU NAGAR, GHAZIABAD
PH: 0120-2863746, 0120-4136349 (F) Email- ghazia@ucobank.co.in

POSSESSION NOTICE {for immovable property under Rule 8(1)}

Notice is hereby given under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule- 8 & 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, The Bank issued demand notices on the date mentioned against account and amount stated hereinafter calling upon them to repay the amount within sixty days from the date of receipt of said notices.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers, guarantors and the public in general that the undersigned has taken the possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with Rule 9 of the said Rules on the dates mentioned against account and amount below.

The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

The owner/s of the property in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property. Any dealing with the property will be subject to the charge of **UCO Bank** for the amounts and interest, cost and charges etc thereon. **Detail of Properties where possession had been taken is as follows:-**

Name of the Borrower/ Propritor / Owner of the Property	Description of mortgaged (movable & immovable) property	Amt o/s (as mentioned in the Notice u/s 13(2))	Date of Demand Notice	Date of Possession
Borrower M/s Lord Krishna Education Trust and **Guarantor** Sh. Jai Shankar Shrivastava, Sh. Jag Mohan Garg, Sh. Mayank Kumar, Sh. Manoj Kumar Singh, Kunwar Devendra Singh, Sh. K.K. Agarwal S/o Sh. Mussadi Lal , Sh. Piyush Mttal, Sh. Anil Kumar Garg S/o Sh. Damodar Das Garg, Sh. Rajesh Gupta S/o Sh. Banwari Lal Gupta, Mrs. Madhu Rani C/o Sh. Mahesh Chand	1)Exclusive Charge on land and building bearing Khasra No. 605, 636, 637,638,156,156/2, Village Chhajarasi Kuleech Nagar, Pargana Dasna, Tehsil Hapur Ghaziabad UP. (Note: (Khasra No. 615,619,621,635 have been exchanged in lieu of Khasra No. 156/2). 2)Second Mortgage charge over the land, building comprised in KhasraNo.606, 607,608,610,611,616,622,624,623,617,618,620,635,681, Furniture & Fixture, Lab Equipments, vehicles and other immovable & moveable fixed assets at Engineering College, Ghaziabad Hapur Road, on Main NH 24 Village Chijarsi, Kulich Nagar, Dist Ghaziabad mortgaged with Syndicate Bank.	Rs. 5,24,22,831.64 as on 30.09.2015 plus future interest and cost etc. w.e.f. 01.10.2015	28.08.2017	06.11.2017

DATE: 11/11/2017. PLACE: GHAZIABAD **Sd/- AUTHORISED OFFICER UCO BANK**

भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA

SMECCC NARAINA, 59, COMMUNITY CENTRE, 2ND FLOOR, INDUSTRIAL AREA, PHASE-1, NARAINA, NEW DELHI - 110028
EMAIL: sbi.15711@sbi.co.in

POSSESSION NOTICE {For immovable property under Rule 8(1)}

Notice is hereby given under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule-9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, The Bank issued demand notices on the date mentioned against account and stated hereinafter calling upon them to repay the amount within sixty days from the date of receipt of said notices.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken the possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with Rule 9 of the said Rules on the dates mentioned against account.

The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property. Any dealing with the property will be subject to the charge of **State Bank of India** for the amounts and interest thereon. **Detail of Properties where possession had been taken is as follows:-**

Name & address of the Borrower/ mortgagor	Description of the property mortgaged	Amt o/s (as mentioned in the Notice u/s 13(2))	Date of Demand Notice	Date of Possession
Borrower M/s Shubh Steel prop. Mr. Ravi Kumar Gupta and Guarantor Sh. Rajender Mohan Gupta	Extension of equitable mortgage of all that part & parcel of shop cum House No. F14/19, Model Town, Phase-II, New Delhi, owned by Sh. Rajender Mohan Gupta	**Rs. 5241348/-** as on **06.09.2017** with further interest W.E.F. **07.09.2017**	06.09.2016	10.11.2017

Date: 11-11-2017 Place: New Delhi **Sd/- AUTHORISED OFFICER, STATE BANK OF INDIA**

intec CAPITAL LIMITED

SAPNE AAPKE, BHAROSA APNO KA

Intec Capital Limited

(CIN:L74899DL1994PLC057410)
Regd Office: 701, Manjusha, 57 Nehru Place, New Delhi-110 019,
Website:www.inteccapital.com, Email for investors: complianceofficer@inteccapital.com

Statement of Standalone Financial Results for the quarter/half year ended 30 September, 2017 prepared in compliance with Schedule III to the Companies Act, 2013

(Amount in Rs. Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended Sep 30, 2017 Unaudited	Quarter ended June 30, 2017 Unaudited	Quarter ended Sep 30, 2016 Unaudited	Half year ended Sep 30, 2017 Unaudited	Half year ended Sep 30, 2016 Unaudited	Year ended March 31, 2017 Audited
1	**Income**						
	Revenue from operations	1,390.10	1,730.55	2,554.05	3,120.65	5,430.12	9,719.13
	Other income	0.41	1.30	4.85	1.71	8.31	28.52
	Total revenue (I)	**1,390.51**	**1,731.85**	**2,558.90**	**3,122.36**	**5,438.43**	**9,747.65**
2	**Expenses**						
	Employee benefit expenses	206.04	228.23	143.81	434.27	626.38	1,056.75
	Finance costs	924.89	1,007.70	1,451.09	1,932.59	2,955.98	5,460.23
	Depreciation and amortisation expense	13.31	15.45	18.33	28.76	37.26	70.26
	Other expense (refer note 2)	634.24	886.55	909.27	1,520.79	1,756.69	3,022.58
	Total expenses (II)	**1,778.48**	**2,137.93**	**2,522.50**	**3,916.41**	**5,376.31**	**9,609.82**
3	**(Loss)/Profit before prior period items (III)=(I)-(II)**	**(387.97)**	**(406.08)**	**36.40**	**(794.05)**	**62.12**	**137.83**
4	Prior period items (IV)	-	(112.97)	-	**(112.97)**	-	-
5	**(Loss)/Profit before tax (V)=(III)-(IV)**	**(387.97)**	**(519.05)**	**36.40**	**(907.02)**	**62.12**	**137.83**
6	**Tax expense**						
	Current Tax	(9.74)	24.61	11.43	14.87	22.38	194.48
	Deferred Tax	(233.57)	-	-	(233.57)	-	(108.00)
	Tax for earlier years	-	-	-	-	-	15.05
	Total tax expense (VI)	**(243.31)**	**24.61**	**11.43**	**(218.70)**	**22.38**	**101.53**
7	**(Loss)/Profit after tax (V)-(VI)**	**(144.66)**	**(543.66)**	**24.97**	**(688.32)**	**39.74**	**36.30**
8	Earnings per equity share*						
	Nominal Value of share	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	Basic	(0.79)	(2.96)	0.14	(3.75)	0.22	0.20
	Diluted	(0.79)	(2.96)	0.14	(3.75)	0.22	0.20

* EPS for the quarter are not annualised

Statement of Assets and Liabilities for the quarter/half year ended 30 September, 2017 prepared in compliance with Schedule III to the Companies Act, 2013

(Amount in Rs. Lakhs)

	As at September 30, 2017 Unaudited	As at March 31, 2017 Audited
Equity and liabilities		
Shareholders' Funds		
Share capital	1,836.63	1,836.63
Reserves and surplus	14,310.03	14,998.36
	16,146.66	**16,834.99**
Non-current liabilities		
Long-term borrowings	3,914.50	7,939.98
Other long-term liabilities	252.49	336.10
Long-term provisions	3,842.95	2,909.64
	8,009.94	**11,185.72**
Current Liabilities		
Short-term borrowings	16,188.81	19,116.53
Other current liabilities	8,651.54	9,201.58
Short-term provisions	149.92	142.02
	24,990.27	**28,460.13**
TOTAL	**49,146.87**	**56,480.84**
Assets		
Non-current assets		
Property, Plant and Equipment	103.30	104.96
Intangible assets	55.77	65.70
Non- current investments	34.14	34.14
Deferred tax assets	1,234.19	1,000.62
Long-term loans and advances	32,108.87	35,599.73
Other non-current assets	977.28	918.16
	34,513.55	**37,723.31**
Current Assets		
Cash and bank balances	1,894.93	1,468.34
Short-term loans and advances	12,256.90	16,662.66
Other current assets	481.49	626.53
	14,633.32	**18,757.53**
TOTAL	**49,146.87**	**56,480.84**

Notes:-

1 The unaudited standalone financial results for the quarter ended September 30, 2017 have been reveiwed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors (the "Board") at their respective meetings held on November 10, 2017.

2 RBI vide its notification no DNBR. 011/CGM (CDS)-2015 dated March 27, 2015, has revised the asset classification norms for Non-performing assets and substandard assets under its prudential norms applicable to NBFCs in a phased manner commencing from financial year ending March 31, 2016. This has resulted in an additional increase in Non-peforming assets by Rs. 357.58 lakhs and additional provision for Non-performing assets by Rs. 75.58 lakhs for the quarter ended September 30,2017. Subsequent to revision of asset classification norms, the Company's gross Non-performing assets have increased to Rs. 16,999.46 lakhs as on September 30, 2017 and the total provision for Non-performing assets have increased to Rs. 3,748.53 lakhs as on September 30, 2017. Further, no additional specific provision is considered necessary based on management's best estimate of the recoverability of Non-performing assets.

3 The main business of the Company is financing. As such, there are no separate reportable segments as per Accounting Standard (AS)-17 'Segment Reporting' notified under section 133 of the Companies Act, 2013, read together with paragraph 7 of the Companies (Account) Rules, 2014 and the Companies (Accounting Standards) Amendment Rules, 2016.

4 Figures for previous quarter/year have been regrouped and/or reclassified wherever considered necessary, to conform to current quarter/ year classification.

For and on behalf of the Board of Directors
Sanjeev Goel
(Managing Director)
DIN - 00028702

Place : New Delhi
Dated : November 10, 2017

FLEX FOODS LIMITED

CIN : L15133UR1990PLC023970
Regd. Off. : Lal Tappar Industrial Area, P.O. Resham Majri, Haridwar Road, Dehradun (Utt.)
Ph. : 0135-2499234, **Fax :** 0135-2499235, **Website :** www.flexfoodsltd.com, **Email :** flexsec@vsnl.net

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & HALF YEAR ENDED 30.09.2017 (₹ in Lacs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended 30.09.2017 (Unaudited)	Quarter Ended 30.06.2017 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2016 (Unaudited)	Half Year Ended 30.09.2017 (Unaudited)	Half Year Ended 30.09.2016 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2017 (Audited)
1.	Total Income from Operations	2467	2289	2215	4756	4280	8704
2.	Net Profit/(Loss) before tax	284	262	142	546	433	1123
3.	Net Profit/(Loss) after tax	192	174	119	366	322	785
4.	Total Comprehensive income (comprising of profit/(Loss) after tax and other Comprehensive income (net of income tax))	192	174	119	366	322	772
5.	Equity share capital (Face Value ₹ 10/- each)	1245	1245	1245	1245	1245	1245
6.	Other equity excluding revaluation reserves as per Balance Sheet as at 31st March 2017						6366
7.	Earnings Per share for the period (Face value of ₹10/- per share)						
	Basic	1.54	1.40	0.96	2.94	2.59	6.31
	Diluted	1.54	1.40	0.96	2.94	2.59	6.31

Notes :

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as modified by circular no. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated 5th July 2016. The full format of the Quarterly & Half Year Ended 30th September 2017 are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.flexfoodsltd.com).

For FLEX FOODS LIMITED
Sd/-
(Ashok Chaturvedi)
Chairman
DIN - 00023452

Place: NOIDA
Date : 10.11.2017

RIBA TEXTILES LIMITED

CIN : L18101DL1989PLC034528
Regd. Office : DD-14, Nehru Enclave, Opp. Kalkaji Post office , New Delhi-110019.
E.Mail : company.affairs@ribatextiles.com, **Website :** www.ribatextiles.com, **Tel. no.:** 011-26236986

STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED 30/09/2017

Amount in Lacs (Rs.)

Sl. No.	Particulars	Quarter ending as on 30/09/2017	Year to date figures for the current year ended 30/09/2017	Corresponding 3 months ended in the previous year 30/09/2016
1	Total income from operations	4029.00	6698.57	3042.92
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) activities after tax	109.35	212.32	88.14
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	109.35	212.32	88.14
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	86.85	169.42	61.14
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	0	0	0
6	Equity Share Capital	965.29	965.29	965.29
7	*Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of the previous year)	0	0	0
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -			
	Basic:	0.90	1.76	0.63
	Diluted:	0.90	1.76	0.63

Note :

1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com and on the Company's Website www.ribatextiles.com.

2) The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote.

3) Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.

By order of the Board
For RIBA TEXTILES LIMITED
Sd/-
(Ravinder Garg)
Chairman and Whole-Time Director
DIN:00202164
Kishore House, Assandh Road, Panipat, 132103 Haryana

Place : Panipat
Date: 10.11.2017

EAST COAST RAILWAY

ELECTRICAL WORK

e-Tender Notice No. BBS-EL-C-T-299E
Date: 07.11.2017

Name of Work: "DESIGN, SUPPLY, ERECTION, TESTING AND COMMISSIONING OF 25 KV OHE IN CONNECTION WITH ELECTRIFICATION OF EXISTING SINGLE LINE BETWEEN RAIRAKHOL TO SAMBALPUR CITY AND DOUBLING BETWEEN BAMUR TO RAIRAKHOL IN SAMBALPUR DIVISION OF EAST COAST RAILWAY".

Approx Cost of the work: ₹1147.15 lakhs, EMD: ₹7,23,580/-, Cost of Tender Document: ₹10,000/-, Completion Period of the work: 06 (Six) Months, Pre bid meeting in Chief Electrical Engineer/Con/Bhubaneswar's office on: 21.11.2017 at 1030 hrs.

Date & time of Tender Closing: 11.12.2017, 1200 hrs.

No manual offers sent by Post/Courier/Fax or in person shall be accepted against such e-Tenders, even if these are submitted on firm's letter head and received in time. All such manual offers shall be considered invalid and shall be rejected summarily without any consideration.

Complete information including e-Tender documents of the above e-Tenders is available in website **http://www.ireps.gov.in**

Note:- The prospective tenderers are advised to revisit the website fifteen days before the date of closing of tender to note any changes/corrigenda issued for this tender.

Dy.Chief Electrical Engineer (Con)/HQ
PR-148/CA/17-18 **Bhubaneswar**

INDIAN TONERS & DEVELOPERS LIMITED

(CIN NO. L74993UP1990PLC015721)
Regd. Office : 10.5 Km Milestone, Rampur Bareilly Road, Rampur - 244 901 (U.P.)
E-Mail ID - info@indiantoners.com,
Website : www.indiantoners.com
Phone No. 0595-2356271
Fax No. 0595-2356273

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held at New Delhi on Monday, 27th November, 2017 at 3.00 p.m. to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended 30th September, 2017.

This notice is also available on the website of the Company and Stock Exchange where the equity shares of the Company are listed viz. www.indiantoners.com and www.bseindia.com respectively.

for Indian Toners & Developers Limited
Sd/-
S. C. Singhal
Company Secretary

Place : New Delhi
Dated : 10.09.2017

VOGUE TEXTILES LIMITED

Regd Office : A-206, Somdutt Chambers-I, 5, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110 066
CIN-L18101DL1992PLC049370

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to clause 41 of the listing agreement, meeting of Board of Directors of the company is scheduled to be held on Tuesday, November, 14, 2017 at A-206, Somdutt Chambers-I, 5-Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066, to inter alia consider, approve and take on record the unaudited financial results of the company for the quarter ended September 30, 2017.

By order of the Board of Directors
For VOGUE TEXTILES LTD
Sd/-
Anil Dutt
Managing Director

Place : New Delhi
Date : 07.11.2017

न्यायाधीशों के 'भ्रष्टाचार' पर संविधान पीठ ने दो जजों के खंडपीठ का फैसला पलटा

जनसत्ता ब्यूरो/भाषा
नई दिल्ली, 10 नवंबर।

शीर्ष न्यायपालिका में चल रही खींचतान शुक्रवार को सतह पर आ गई जब सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों से संबंधित कथित तौर पर भ्रष्टाचार के एक मामले पर सुनवाई करने के लिए बड़ी पीठ गठित करने के दो न्यायाधीशों की पीठ के एक आदेश को पलट दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि पीठ गठित करने व मामले आबंटित करने का विशेषाधिकार सिर्फ प्रधान न्यायाधीश के पास है। यह टकराव एक पीठ के गठन में सर्वोच्चता के मुद्दे को लेकर था। न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर और एस अब्दुल नजीर के पीठ ने एक आदेश के जरिए गुरुवार को प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के प्राधिकार को कम कर दिया था। दो सदस्यीय पीठ ने न्यायाधीशों को कथित तौर पर रिश्वत दिए जाने से जुड़े मामले पर सुनवाई के लिए पांच न्यायाधीशों के एक पीठ का गठन किया था। इस मामले में उड़ीसा हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति इशरत मसरूर कुद्दुसी एक आरोपी हैं।

न्यायमूर्ति चेलमेश्वर प्रधान न्यायाधीश के बाद सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। उन्होंने एक एनजीओ और एक अधिवक्ता द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के पांच शीर्ष न्यायाधीशों का पीठ गठित करने का आदेश दिया था। याचियों ने दावा किया था कि न्यायमूर्ति मिश्रा के खिलाफ भी आरोप हैं।

हालांकि, एक नाटकीय घटनाक्रम में सीजेआइ ने अपनी अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों के पीठ का गठन किया और दो न्यायाधीशों वाले पीठ के गुरुवार के आदेश को पलट दिया। पांच सदस्यीय पीठ ने कहा कि कोई पीठ गठित करने और मामले आबंटित करने का विशेषाधिकार सिर्फ प्रधान न्यायाधीश के पास है। पांच सदस्यीय पीठ में न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति अमिताभ राय और न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर भी शामिल थे।

तेजी से हुए एक घटनाक्रम में पांच न्यायाधीशों के पीठ ने अपराह्न तीन बजे इस सवाल पर अविलंब सुनवाई शुरू की कि किसी खास मामले पर सुनवाई करने के लिए खास न्यायाधीशों का पीठ गठित करने का निर्देश कौन दे सकता है। पीठ ने कहा, 'ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जा सकता जिसमें सीजेआइ को खास संख्या वाला पीठ गठित करने का निर्देश दिया जाए।' पीठ ने साफ कहा कि न तो दो न्यायाधी६२शों और न ही तीन न्यायाधीशों वाले पीठ सीजेआइ को कोई खास पीठ गठित करने का निर्देश दे सकता है।

पांच सदस्यीय पीठ ने दो न्यायाधीशों वाले पीठ के फैसले को रद्द करते हुए कहा, 'यह कहना अनावश्यक है कि कोई भी न्यायाधीश खुद से किसी मामले पर विचार नहीं कर सकता है जब तक कि उसे सीजेआइ ने आबंटित नहीं किया हो क्योंकि सीजेआइ न्यायालय के मुखिया हैं।' सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों और अधिवक्ता प्रशांत भूषण के बीच गरमा-गरम बहस हुई। सीजेआइ ने सख्त टिप्पणी में कहा, 'इस आदेश (संविधान पीठ) के विपरीत दिया गया कोई भी आदेश रद्द समझा जाएगा। पीठ ने कहा कि अगर कानून के सिद्धांतों, न्यायिक अनुशासन और अदालत के शिष्टाचार का पालन नहीं किया गया तो न्याय प्रशासन के साथ-साथ संस्थान के कामकाज में 'अराजकता' और 'अव्यवस्था' होगी। गुरुवार के आदेश से नाराज सीजेआइ ने संबंधित न्यायाधीशों का नाम लिए बगैर कहा कि अदालत में रोजाना सैकड़ों मामले सूचीबद्ध होते हैं और अगर इस तरह से आदेश दिया गया तो अदालत कामकाज नहीं कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष आरएस सूरी, उपाध्यक्ष अजीत सिन्हा, सचिव गौरव भाटिया समेत इसके सदस्यों और अशोक भान, अमन सिन्हा समेत कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने याचिका में लगाए गए आरोपों का जोरदार प्रतिवाद किया और कहा कि न्यायाधीशों को 'धमकाने' के किसी भी प्रयास के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। एससीबीए सदस्यों ने पीठ से मामले में अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध करते हुए कहा, 'आतंकित करके आदेश पाने को इस अदालत को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इस तरह के किसी भी प्रयास के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।'

खचाखच भरे अदालत कक्ष में आरोपों की झड़ी लग रही थी। भूषण ने ऊंची आवाज में सीजेआइ से मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने को कहा क्योंकि सीबीआइ की प्राथमिकी में कथित तौर पर उनका भी नाम है। सीजेआइ ने बदले में भूषण से प्राथमिकी की सामग्री को पढ़ने को कहा और उन्हें आपा खोने के खिलाफ चेतावनी दी। सीजेआइ ने कहा, 'मेरे खिलाफ निराधार आरोप लगाने के बावजूद हम आपको रियायत दे रहे हैं और आप इससे इनकार नहीं कर सकते। आप आपा खो सकते हैं लेकिन हम नहीं।' भूषण ने कथित तौर पर न्यायाधीशों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले की जांच के लिए एसआइटी के गठन की मांग करते हुए कहा कि सीजेआइ का नाम इसमें है।

सीजेआइ ने कहा, 'मेरे खिलाफ कौन सी प्राथमिकी। यह बकवास है। प्राथमिकी में मुझे नामजद करने वाला एक भी शब्द नहीं है। हमारे आदेश को पहले पढ़ें। मुझे दुख होता है। आप अब अवमानना के लिए जिम्मेदार हैं।' भूषण ने पीठ को उन्हें अवमानना का नोटिस जारी करने की चुनौती दी और कहा कि उन्हें बोलने की अनुमति दिए बिना इस तरीके से सुनवाई नहीं चल सकती। भूषण को न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा ने भी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि उनके समक्ष दायर याचिका की सामग्री अवमाननाकारी है।

अंगदान के प्रति जागरूकता फैलाना जरूरी : राष्ट्रपति

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 नवंबर।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को कहा कि हर साल देश में लगभग 5 लाख लोगों की अंग प्रत्यारोपण के अभाव में मौत हो जाती है। ऐसे में चिकित्सकों, शैक्षणिक संस्थानों, अध्यापकों और धार्मिक गुरुओं को लोगों के बीच अंगदान के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। दधीचि देह-दान समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा कि अंग या देह का दान करना हमारी प्राचीन सभ्यता में लोकाचार का अभिन्न हिस्सा रहा है। ऐसा माना जाता है कि महर्षि दधीचि ने अपना शरीर देवताओं को दान में दे दिया था ताकि वे उनकी अस्थियों से हथियार बनाकर राक्षसों को पराजित कर सकें। उन्होंने कहा कि ऐसी भावना मानवता और प्रेरणा का प्रतीक है कि जीवित रहते या मृत्यु के बाद हमारा शरीर या इसके अंग लोगों के काम आ सकें।

NOTICE

The General Body Meeting of The National Society for the Prevention of Blindness will be held on Sunday, the 17th December 2017 at 12.15 P.M. at KNGD Modi Engineering College Auditorium, Hapur Road, Modinagar (UP). Members enrolled at National Headquarters and representatives of branches are requested to attend. Election for 21 members to the Governing Council will be held at the venue of the meeting from 12.45 P.M. as the term of the present Governing Council is getting over in 2017. Nomination Forms duly proposed and seconded by the valid members be sent in a sealed cover to The NSPB's office, Room No.122, Dr. R.P. Centre for Ophthalmic Sciences, AIIMS, New Delhi. Last dates for the receipt of the nomination at The NSPB's Office is Tuesday, the 5th December, 2017 by 3.00 P.M., Scrutiny of nomination and announcement of eligible candidate is Wednesday, the 6th December, 2017 at 3.00 P.M. and for withdrawal of nomination is Friday, the 8th December, 2017 by 3.00 P.M.

Sd/-
(NILESH KUMAR) ELECTION OFFICER

बोलुंग में हजारिका की प्रतिमा लगने से लोग हुए खुश

इटानगर, 10 नवंबर (भाषा)।

अरुणाचल प्रदेश के बोलुंग गांव के लोग काफी प्रसन्न हैं क्योंकि बहुमुखी प्रतिभा के धनी संगीतकार भूपेन हजारिका की एक प्रतिमा यहां लगाई गई है। हजारिका अपने बचपन में दिबांग घाटी में स्थित इस इलाके में अक्सर खेला करते थे।

एक अधिकारी ने बताया कि यह कांस्य प्रतिमा 10 फुट ऊंची है और इसे गुवाहाटी के बीरेन सिंह ने तैयार किया है। यह प्रतिमा इसी साल गांव में तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि इसका औपचारिक अनावरण 2018 के शुरू में किया जाएगा।

शोध विभाग के निदेशक बतेन पर्तिन ने कहा, 'लीजेंड बन चुके संगीतकार ने सांस्कृतिक क्षेत्र में इस राज्य के लिए काफी योगदान किया है। सरकार ने 2015 में श्रद्धांजलि के तौर पर उनकी प्रतिमा के लिए 30 लाख रुपए आबंटित किए थे।

'पद्मावती' के खिलाफ बजरंग दल ने किया प्रदर्शन

जयपुर, 10 नवंबर (भाषा)।

संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म 'पद्मावती' पर राजस्थान में प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर शुक्रवार बजरंग दल ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया।जयपुर के कलेक्ट्रेट के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन के अधिकारी को सौंपा। बजरंग दल के प्रांत समन्वयक अशोक सिंह का कहना है कि फिल्म निर्माता ने कई ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की है। हमारी मांग है कि फिल्म पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। उनका कहना है, 'फिल्म का प्रोमो देखकर स्पष्ट होता है कि इसमें रानी पद्मावती से जुड़े तथ्यों को आपत्तिजनक तरीके से दिखाया गया है।' उन्होंने कहा कि सरकार को प्रदेश में फिल्म रिलीज की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यदि फिल्म रिलीज हुई तो उसके बाद हमारे विरोध के कारण सिनेमाघरों को होने वाले नुकसान के लिए सरकार जिम्मेदार होगी।

Orosil smiths india limited | kuhjohl www.kuhjohl.com | SINCERE PRECIOUSLY YOURS www.sincerejewellery.com

ओरासिल स्मिथ्स इंडिया लिमिटेड

(पंजी. कार्यालयः 620, हेमकुंत चेम्बर्स, 89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली – 110019)
ईमेलः info@orosil.com, वेबसाइटः www.orosil.com, CIN: L74899DL1994PLC059341

30 सितम्बर, 2017 को समाप्त दूसरी तिमाही के लिए स्टैंडअलोन अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का उद्धरण (एमसीए द्वारा दिये गये Ind-As अनुपालन में)

(रू लाखों में)

क्र. स.	विवरण	30.09.2017 को समाप्त तिमाही (अनंकेक्षित)	30.09.2017 को वर्ष से तिथि/समाप्त छमाही (अनंकेक्षित)	30.09.2016 को समाप्त पूर्व वर्ष के अनुरूप समाप्त 3 महीनें (अंनकेक्षित)
1	प्रचालन से कुल आय (शुद्ध)	30.91	111.65	27.02
2	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, सामान्य तथा/व असाधारण मदों से पूर्व)	(11.53)	(2.51)	(8.75)
3	कर से पहले अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (सामान्य और/व असाधारण मदें के बाद)	(11.53)	(2.51)	(8.75)
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (सामान्य और/व असाधारण मदें के बाद)	(11.53)	(2.51)	(8.75)
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल)	(11.53)	(2.51)	(8.75)
6	इक्विटी शेयर पूंजी	413.16	413.16	413.16
7	रिजर्व्स (पुनर्मुल्यांकन रिजर्व्स को छोडकर) के रूप में पिछले वर्ष की अंकेक्षित बैलेंस शीट के रूप में दिखाया गया है।	(139.36)	(139.36)	(129.27)
8	प्रति शेयर आय (अंकित मूल्य प्रति रू. 1/–) (जारी व बंद प्रचालन के लिए) बेसिक डायल्यूटिड	(0.03)	(0.01)	(0.11)

नोटः

(i) उपरोक्त परिणाम ऑडिट कमेटी द्वारा समीक्षा तथा प्रस्तुत किए गए तथा निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 10 नवम्बर, 2017 को आयोजित उनकी बैठक में स्वीकृत किए गए। कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक से प्राप्त लिस्टिंग विनियमन के नियमन 33 के अनुसार वित्तीय परिणाम के साथ संपत्ति और देनदारी के विवरण ऑडिटर की रिपोट के अधीन किया गया है।

(ii). सूचीयन अनिवार्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के अनुसार, 30 सितम्बर, 2017 को समाप्त दूसरी तिमाही के लिए त्रैमासिक परिणाम उपरोक्त विस्तृत प्रारूप का उद्धरण है। त्रैमासिक परिणामों का सम्पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाइट www.bseindia.com में तथा कंपनी की वेबसाइट www.orosil.com पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते ओरासिल स्मिथ्स इंडिया लिमिटेड
हस्ता./–
(बी. के नरूला)
प्रबंध निदेशक
DIN: 00003629

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 10 नवम्बर, 2017

सृजन मामले में सीबीआइ ने दाखिल किए दो आरोप पत्र

भागलपुर 10 नवंबर (जनसत्ता)।

सैकड़ों करोड़ रुपए के सृजन घपले से जुड़े दो और मामलों में सीबीआइ ने आरोप पत्र पटना की अदालत में दाखिल किया है।

दोनों आरोप पत्र सीबीआइ की दर्ज एफआइआर संख्या आरसी 11 ए /2017 और आरसी 16 ए 2017 से संबंधित है। जेल में बंद 17 आरोपियों की पेशी 13 नवंबर को पटना में सीबीआइ की विशेष अदालत में होगी। अदालत के आदेश से ये सभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भागलपुर जेल में बंद है, जिसकी मियाद 13 नवंबर को पूरी हो रही है।सीबीआइ के वकील एएच खान के मुताबिक इस तरह सीबीआइ ने दो रोज में सृजन से जुड़े तीन आरोप पत्र अदालत में दायर कर दिए। आरसी 11 ए/17 में दो लोगों (सृजन की संस्थापक मनोरमा देवी के पूर्व ड्राइवर विनोद कुमार और इंडियन बैंक के प्रबंधक तौकीर कासिम) को आरोपी बनाया है। विनोद जेल में है और तौकीर की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। यह मामला साढ़े पांच करोड़ के सरकारी धन के घपले का है।

आरसी 16 ए / 17 कल्याण महकमे से जुड़ी है। जिसमें महकमे के छह करोड़ रुपए पंजाब नेशनल बैंक की बरारी शाखा के खाते में जमा थे। 8 नवंबर 2016 को पूरी की पूरी रकम कल्याण पदाधिकारी के नाम से चेक जारी कर बैंक ऑफ बड़ौदा समाशोधन के जरिए स्थांतरित करा ली गई।

दिलचस्प बात यह है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में उसी रोज खाता खोला गया था और रकम सृजन के खाते में जमा की गई। आरोप पत्र में सृजन की संस्थापक मनोरम देवी और कल्याण महकमे के नाजिर महेश मंडल को मृत दिखाया गया है। इनके अलावा कल्याण पदाधिकारी अरुण कुमार, उनकी पत्नी इंदु गुप्ता , बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधक मो. सरफराजुद्दीन, सृजन की प्रबंधक सरिता झा आरोपी हैं। इंदु देवी और सरफराजुद्दीन की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। बाकी जेल में बंद हैं।

इस मामले में महत्वपूर्ण बात है कि यह एफआइआर पुलिस में कल्याण पदाधिकारी की हैसियत से अरुण कुमार ने ही लिखवाई थी। और उसी तड़के एसआइटी ने इनके भागलपुर और पटना के ठिकानों पर छापामार इन्हें दबोचा था। इनकी पत्नी इंदु गुप्ता के नाम से बैंक में डेढ़ करोड़ नगद जमा का पास बुक, एक करोड़ रुपए के सोने चांदी के हाल में खरीदे गए जेबरात की रसीद और 25 लाख रुपए के दो चेक जो इंदु गुप्ता के नाम से सृजन ने जारी किए थे, पुलिस की एसआइटी ने बरामद किए थे। एसआइटी से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक इंदु गुप्ता फरार हो गई थी और अबतक गिरफ्त से बाहर है। सूत्रों के अनुसार सीबीआइ और मामलों में भी जल्द ही आरोप पत्र दाखिल करेगी। कल्याण महकमे का छह करोड़ रुपए का यह मामला तो छोटा है। इस महकमा के और एक सौ करोड़ रुपए से ज्यादा के घपले की एफआइआर अलग से दर्ज है। सीबीआइ आरोप पत्र में किस-किस को आरोपी बनाती है। देखना है।

भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर शुरू होगी वार्ता

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 नवंबर।

डोकलाम विवाद का समाधान निकालने के बाद भारत और चीन ने रिश्तों को सामान्य बनाने की नई कोशिश शुरू कर दी है। दो स्तरों पर प्रयास शुरू किए गए हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला में 12 से 14 नवंबर तक होने वाली आसियान देशों की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनफिंग की शिखर वार्ता की तैयारियों में दोनों देशों के राजनयिक जुटे हैं। इस बैठक से सीमा विवाद को लेकर द्विपक्षीय वार्ता दोबारा शुरू होने के आसार हैं। डोकलाम विवाद के बाद से सीमा विवाद को लेकर वार्ता ठप है। दोनों पक्षों के बीच अबतक 19 दौर की बातचीत हो चुकी है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार के अनुसार, अब यह वार्ता ज्यादा दिनों तक नहीं टलेगी। उन्होंने बताया कि भारत और चीन के अधिकारी उच्चस्तरीय समिति की बैठक के लिए एक-दूसरे के संपर्क में हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, मोदी-जिनफिंग वार्ता के बाद दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की विशेष समिति की बैठक होगी। इसके अलावा अगले कुछ हफ्तों में विदेश मंत्री के स्तर पर भी द्विपक्षीय बातचीत होने वाली है। भारत-रूस-चीन की त्रिपक्षीय बैठक में भाग लेने के लिए चीन के विदेश मंत्री दिसंबर, 2017 में भारत आ सकते हैं।

मोदी और जिनफिंग मनीला में आसियान देशों की सालाना बैठक में हिस्सा लेने के लिए उपस्थित होंगे। अक्सर ऐसा हुआ है कि जब भी ये दोनों नेता किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत करते हैं, तो द्विपक्षीय बैठक जरूर करते हैं। डोकलाम विवाद के दौरान भी हनोवर (जर्मनी) में समूह-20 देशों की बैठक के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। इस बैठक के बाद विवाद सुलझने का रास्ता खुल गया था।

सीमा विवाद को लेकर दोनों देश उन वजहों का स्थाई हल तलाश रहे हैं, जिनकी वजह से चार हजार किलोमीटर लंबी सीमा पर तनाव पैदा होता है। दोनों देशों ने उच्चस्तरीय समिति गठित कर रखी है। इस कमेटी में भारतीय पक्ष की अगुआई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी पक्ष का नेतृत्व वहां के पोलित ब्यूरो सदस्य व स्टेट काउंसलर यांग यिची कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच अंतिम बैठक पिछले वर्ष बीजिंग में हुई थी। अगली बैठक इस वर्ष के मध्य में होनी थी। लेकिन, डोकलाम विवाद की वजह से यह नहीं हो सकी थी।

लालू ने दिए संकेत, अगले चुनाव में तेजस्वी हो सकते हैं राजद का चेहरा

पटना, 10 नवंबर (भाषा)।

राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने शुक्रवार संकेत दिया कि उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव बिहार में अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी का चेहरा हो सकते हैं।

प्रदेश राजद अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे के कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी अगली सरकार बनाएगी, इस पर लालू प्रसाद ने अपने छोटे बेटे के नेतृत्व गुणों की तारीफ की। राजद प्रमुख ने संवाददाताओं से कहा, 'नेतृत्व क्षमता और भाषण के मामले में वह (तेजस्वी) आगे है। मैं यह इसलिए नहीं कह रहा कि वह मेरा बेटा है।'

हाल में लगातार चौथी बार प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने के बाद पूर्वे ने कहा था, 'हम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में अगली सरकार बनाएंगे।' तेजस्वी कल 28 साल के हो गए। वह राजद, जदयू और कांग्रेस के महागठबंधन वाली सरकार में उपमुख्यमंत्री थे।

हालांकि, राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने असहमति प्रकट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार के मुद्दे का अभी समय नहीं है और राज्य में चुनाव होने तक ऐसा नेतृत्व उभर कर सामने आ जाएगा। पूर्वे के बयान पर सिंह ने एक समाचार चैनल से कहा कि पार्टी बैठकों में नेता अपनी भावनाएं जाहिर करते हैं। रामचंद्र पूर्वे ने भी यही किया। किसी भी मामले में दूसरा दावेदार नहीं आ रहा। चुनाव बहुत दूर है । हम उपयुक्त समय पर फैसला करेंगे। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा, 'चुनाव इतना दूर है तो अभी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में सोचने का समय नहीं आया है । पूर्वे ने कुछ कहा है तो यह उनकी निजी राय है।'

पर्यावरण नष्ट होने का नतीजा है धुंध : योगी

बलरामपुर, 10 नवंबर (भाषा)। देश की राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई शहरों में आसमान में छाई धुंध को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि यह धुंध पर्यावरण के नष्ट होने का नतीजा है। योगी ने कहा कि जंगलों की अवैध कटान और लगातार हो रहे अवैध खनन से पर्यावरण को गंभीर खतरा पैदा हो गया है।

यूको बैंक UCO BANK
(A Govt.Of India Undertaking)
Honours Your Trust

जोनल ऑफिस–5, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली–110001
शाखाः एच–2/III, राकेश मार्ग, नेहरू नगर, गाजियाबाद
फोन. 0120–2863746, 0120–4136349 (एफ)
ईमेल–ghazia@ucobank.co.in

कब्जा सूचना नियम 8(1) के अंतर्गत अचल सम्पति के लिए

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (द्वितीय) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के साथ पठित धारा 13(12) के नियम 8 और 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि जारी कर ऋणधारको को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि को वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारको, गारंटरो तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित नियम 9 के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाए जाने के लिए उपलब्ध समय के सम्बंध में अधिनियम की धारा 13 के उपधारा (8) के प्रावधानो पर उधारकर्ता के ध्यान को आमंत्रित किया जाता है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय लागत, ब्याज, आकस्मिक लागत आदि तथा उस पर ब्याज के लिए यूको बैंक, के चार्ज के अधीन होगा।
कब्जा की गई सम्पति का विवरण इस प्रकार है।

संपति के उधारकर्ता/ प्रोपराईटर /मालिक का नाम	बंधक संपति का विवरण (चल व अचल)	बकाया राशि (धारा 13 (2) की सूचना में वर्णित के अनुसार	मांग सूचना की दिनांक	कब्जा सूचना की दिनांक
उधारकर्ता - मै० लार्ड कृष्णा एजुकेशन ट्रस्ट और गारंटर- श्री जय शंकर श्रीवास्तवा, श्री जग मोहन गर्ग, श्री मयंक कुमार, श्री मनोज कुमार सिंह, कुवर देवेन्द्र सिंह श्री के.के. अग्रवाल पुत्र श्री मुसादी लाल, श्री पियुश मित्तल, श्री अनिल कुमार गर्ग पुत्र श्री दामोदर दास गर्ग, श्री राजेश गुप्ता पुत्र श्री बनवारी लाल गुप्ता, मिसेज मधु रानी C/o श्री महेश चन्द।	1) खसरा नं0. 605, 636, 637, 638, 156, 156/2, गॉव– छिजारासी कुलीच नगर परगाना–डासना, तहसील–हापुड़ गाजियाबाद यू0पी0, (नोट–खसरा नं0 615,619,621,635 खसरा नं0 156/2 के बदले में आदान–प्रदान किया गया है) पर स्थित जमीन व बिल्डिंग के अनन्य प्रभार। 2) खसरा नं0. 606, 607, 608, 610, 611, 616, 622, 624, 623, 617, 618, 620, 635, 681, की जमीन व बिल्डिंग, फर्निचर और फिक्सचर, लैब उपकरण, गाड़ियां और बाकी अचल व चल फिक्सड संपति जो कि इंजिनियरीग कॉलेज, गाजियाबाद हापुड़ रोड़, एन.एच. 24 पर, गॉव– छिजारासी कुलीच नगर, जिला गाजियाबाद जो सिन्डीकेट बैंक के पास बंधक थे के उपर दूसरा बंधक प्रभार।	रू. 5,24,22,831.64 30.09.2015 तक तथा 01.10.2015 से आगे के ब्याज व खर्चे आदि।	28.08.2017	06.11.2017

दिनांक : 11.11.2017 स्थान :गाजियाबाद
हस्ता/- अधिकृत अधिकारी यूको बैंक

उत्तर प्रदेश में दमघोंटू स्तर तक पहुंच गई है हवा

लखनऊ, 10 नवंबर (भाषा)।

उत्तर प्रदेश में 'स्मॉग' दम घोंटू स्तर तक पहुंच चुका है। राज्य सरकार का मानना है कि अब यह साधारण विषय नहीं रह गया है और बहुत गंभीरता से इसका समाधान खोजना होगा। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पिछले करीब एक हफ्ते से हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है और यह स्वास्थ्य के लिए खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है। स्मॉग को आगामी नगरीय निकाय चुनाव के प्रमुख मुद्दों में शामिल करने की भी मांग उठ रही है।

उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने बातचीत में जहरीली होती हवा का समाधान पूछने पर कहा, 'मैं मानता हूं कि यह अब साधारण विषय नहीं रह गया है। इसका समाधान बहुत गंभीरता से खोजना होगा।' उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने जहरीले स्मॉग से निपटने के कई तरीके सुझाए हैं। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इस मामले को लेकर सतर्क है और समस्या से निपटने के लिए जो भी आवश्यक निर्णय होगा, वह लिया जाएगा।

मालूम हो कि एनजीटी के आदेश के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में खेतों में फसलों के अवशेषों को जलाने पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि वे अपने-अपने जिलों के हालात को देखते हुए जरूरी निर्णय लें ताकि जहरीली हवा के संकट से निपटा जा सके।

इस बीच, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स (राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक) के अनुसार शुक्रवार अपराह्न तीन बजे तक गाजियाबाद और वाराणसी की हवा में पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) 2.5 की मात्रा 491-491 प्रति क्यूबिक मीटर थी। वहीं, लखनऊ में 490, नोएडा में 488, कानपुर में 450, आगरा में 404 और मुरादाबाद में 388 प्रति क्यूबिक मीटर पायी गई। हवा में पीएम 2.5 की मात्रा 200 प्रति क्यूबिक मीटर से अधिक होते ही यह खतरनाक हो जाती है। इसकी मात्रा 400 प्रति क्यूबिक मीटर या उससे ऊपर जाना पूर्ण रूप से स्वस्थ लोगों को भी बीमार कर सकता है।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लखनऊ के अध्यक्ष डॉक्टर पीके गुप्ता ने बताया कि पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) 2.5 सल्फर डाईऑक्साइड, नाइट्रोजन डाईऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और धूल कण का मिला जुला रूप है, जिनका आकार अति सूक्ष्म होता है। यह कण हमारी नाक के बालों से भी नहीं रुकते और फेफड़ों और यहां तक खून में भी पहुंच जाते है। इससे फेफड़ों के साथ-साथ दिल पर भी बुरा असर पड़ता है।

फ्लैक्स फूड्स लिमिटेड

CIN : L15133UR1990PLC023970
रजिस्टर्ड ऑफिस : लाल टप्पर इंडस्ट्रियल एरिया, पी.ओ. रेशम मजरी, हरिद्वार रोड देहरादून (उत्त.)
फोन : 0135-2499234, फैक्स : 0135-2499235, वेबसाइट : www.flexfoodsltd.com, ईमेल : flexsec@vsnl.net

30.09.2017 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के दौरान अंकेक्षित वित्तीय परिणाम (₹ लाखों में)

क्र0 सं0	विवरण	30.09.2017 को समाप्त तिमाही (अनंकेक्षित)	30.06.2017 को समाप्त तिमाही (अनंकेक्षित)	30.09.2016 को समाप्त तिमाही (अनंकेक्षित)	30.09.2017 को समाप्त छमाही (अनंकेक्षित)	30.09.2016 को समाप्त छमाही (अनंकेक्षित)	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (अंकेक्षित)
1.	प्रचालनों से कुल आय	2467	2289	2215	4756	4280	8704
2.	कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	284	262	142	546	433	1123
3.	कर पश्चात् शुद्ध लाभ/(हानि)	192	174	119	366	322	785
4.	कुल व्यापक आय (शामिल लाभ/हानि) कर पश्चात और अन्य व्यापक आय (शुद्ध कर आय))	192	174	119	366	322	772
5.	समतुल्य अंश पूंजी (एफवी ₹10/- प्रत्येक)	1245	1245	1245	1245	1245	1245
6.	अन्य इक्विटी, पुनर्मूल्यांकन आरक्षित के अतिरिक्त 31 मार्च 2017 के तुलन पत्र के अनुसार						6366
7.	इस अवधि के लिए आय प्रति शेयर (एफवी ₹10/- प्रति शेयर)						
	मूल	1.54	1.40	0.96	2.94	2.59	6.31
	तरल	1.54	1.40	0.96	2.94	2.59	6.31

नोट :–
1. उपरोक्त विवरण भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीयन और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015, दिनांक 5 जुलाई 2016 को संशोधित परिपत्र संख्या सीआईआर/सीएफडी/एफएसी/62/2016 के अनुसार, के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में जमा किए गए तिमाही के वित्तिय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारकित अंश है। तिमाही एवं 30 सितम्बर 2017 को समाप्त छमाही के वित्तिय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइ www.bseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट www.flexfoodsltd.com पर उपलब्ध है।

फ्लैक्स फूड्स लिमिटेड के लिए
हस्ता/-
(अशोक चतुर्वेदी)
अध्यक्ष
DIN - 00023452

स्थान : नोएडा
दिनांक : 10.11.2017